सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– **रमेश देव** (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 284 /2023

वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

1. गुरमीत सिंह पुत्र कलवतसिंह
2. सरबजीत कौर पत्नी कलवत सिंह
3. पुरषोतम सिंह पुत्र हरबंस सिंह
4. हरमेन्द्र कौर पत्नी हरबंस सिंह

} जाति जटसिख निवासी नुकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ

–वादीगण

बनाम्

1. गुरमेल कौर पत्नी महेन्द्र सिह
2. कुलवन्त सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
3. हरबंश सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
4. मनदीप कौर पुत्री हरबंश सिह

} जाति जटसिख निवासी नुकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ राज

5. तहसीलदार राजस्व संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री राजेश बुडानिया –वकील वादीगण

2. श्री विवेक बुडानिया –वकील प्रति 1 ता 4

निर्णय **दिनांक :–17 /06/2023**

वादीगण गुरमीत सिंह वगैरा ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 14/06/2023 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रकिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि प्रतिवादी सं 1 के नाम ज.स 2072–2075 चक न 6 पी.टी.पी के खाता स 26/20 मे 1.353हे0 व प्रतिवादी स 2 व 3 के नाम इसी चक के खाता स 127/67 मे 5.829 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हे। कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वाद पत्र के चरण स 2 मे वर्णित भूमि प्रतिवादी स 1 ता 3 को महेन्द्र सिंह से विरास्तन प्राप्त हूई है पूर्व मे उक्त भूमि का खाता विभाजन हो चूका है कि वादीगण व प्रतिवादी स 1 ता 4 एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है जो महेन्द्र सिह के जायज व कानुनी वारीसान है। प्रतिवादी सं 1 के नाम ज.स 2072–2075 चक न 6 पी.टी.पी के खाता स 26/20 मे 1.353हे0 व प्रतिवादी स 2 व 3 के नाम इसी चक के खाता स 127/67 मे 5.829 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी स 1 प्रतिवादी स 2 का पुत्र है व वादी स 2 प्रतिवादी स 1 की पत्नी है व वादी स 1 व 4 प्रतिवादी स 1 पौत्र है। व वादी स 3 प्रतिवादी स 3 का पुत्र व वादी स 4 प्रतिवादी स 3 की पत्नी है व प्रतिवादी स 4 प्रति स 3 की पुत्री है। उक्त वर्णित भूमि मे वादी स 1 व 3 व प्रतिवादी स 4 का विरास्तन हक व हिस्सा जन्म से बनता है। प्रतिवादी स 4 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि परित्याग वादी स 3 के पक्ष मे कर दिया है। व वाद पत्र की चरण स 2 मे वर्णित भूमि का घरू विभाजन वादीगण व प्रतिवादीगण ने कर लिया है मुताबिक घरू विभाजन वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज हाकर काश्त कर रहे है मुताबिक घरू विभाजन वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी व दावेदार है। मुताबिक घरू विभाजन प्रतिवादी स 1 नाम दर्ज चक न 6

पी.टी.पी के खाता 26/20 ज.स 2072–2075 मे वादी स 1 व 3 को 1.353है भूमि का ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 नाम कलमजन करवाना चाहते है। प्रतिवादी स 2 व 3 के नाम दर्ज इसी चक के खाता स 127/67 मे वादी स 1 को 0.336है व वादी स 2 ता 4 को 1.012है प्रत्येक का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 2 का 1.348है0 व प्रतिवादी स 3 का 2.024 है0 हिस्सा कम करवाना चाहते है। वादीगण इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी व दावेदार है। कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादी को वादपत्र की चरण सं. 4 में दर्ज भूमि का हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अकंन करवा दो तो प्रतिवादी स 1 पहले तो टाल मटोल करते रहा किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादीगण की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। कि वाद पत्र बाबत घोषण का हैं जो उचित 2/–रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है अन्दर मियाद व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। की प्रतिवादी संख्या 5 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। **अतः** वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें। **(क)** कि चक न 6 पी.टी.पी ज.स 2072–75 के खाता स 127/67 मे वादी स 1 को 0.336है व वादी स 2 ता 4 को 1.012है प्रत्येक का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 2 का 1.348 है0 व प्रतिवादी स 3 का 2.024 है0 हिस्सा कम किया जावे व इसी चक के खाता स 26/20 मे वादी स 1 व 3 को 1.353 है भूमि का ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 नाम कलमजन किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 4 का जबाव दावा पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। वादी स 3 ने साक्ष्य में शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया। तथा जं.बं चक न 6.पी. टी.पी ज.स. 2072–2075 के खाता सख्या 26/20 व खाता सख्या 127/67 नहरी कृषि भूमि जो प्रदर्ष 1 व 2 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण अभिभाषक ने कथन किया कि चक न 6 पी. टी.पी ज.स 2072–75 के खाता स 127/67 मे वादी स 1 को 0.336है व वादी स 2 ता 4 को 1.012है प्रत्येक का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 2 का 1.348 है0 व प्रतिवादी स 3 का 2.024 है0 हिस्सा कम किया जावे व इसी चक के खाता स 26/20 मे वादी स 1 व 3 को 1.353 है भूमि का ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 नाम कलमजन किया जावे। प्रतिवादी के वकील द्वारा कोई ऐतराज नही किया गया। बहस में वादीगण के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादीगण और से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 व 2 प्रदर्श किये गए । बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज 1 व 2 का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। इसलिए वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता हैं कि चक.न. 6.पी.टी.पी ज.स 2072–2075 के खाता स 127/67 मे वादी स 1 को 0.336है0 व वादी स 2 ता 4 को 1.012है0 प्रत्येक का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 2 का 1.348 है0 व प्रतिवादी स 3 का 2.024 है0 हिस्सा कम किया जाता है व इसी चक के खाता स 26/20 मे वादी सख्या 1 व 3 को 1.353 है भूमि का ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 नाम कलमजन किया जाता है।

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोटः– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 17/06/2023. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17/6/23

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल फतेहपुर

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
(अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 284/2023
वाद पत्र अं.धारा :– 88 आरटीए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. गुरमीत सिंह पुत्र कलवतसिंह
2. सरबजीत कौर पत्नी कलवत सिंह
3. पुरषोतम सिंह पुत्र हरबंस सिंह
4. हरमेन्द्र कौर पत्नी हरबंस सिंह

जाति जटसिख निवासी नुकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ

–वादीगण

बनाम्

1. गुरमेल कौर पत्नी महेन्द्र सिह
2. कुलवन्त सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
3. हरबंश सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
4. मनदीप कौर पुत्री हरबंश सिह
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया

जाति जटसिख निवासी नुकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ राज

–प्रतिवादीगण

दिनांक :– 17/06/2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानियां वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री विवेक बुडानिया वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है चक.न. 6.पी.टी.पी ज.स 2072–2075 के खाता स 127/67 मे वादी स 1 को 0.336है0 व वादी स 2 ता 4 को 1.012 हैक्टर प्रत्येक के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 2 का 1.348 है0 व प्रतिवादी स 3 का 2.024 है0 हिस्सा कम किया जाता है व इसी चक के खाता स 26/20 मे वादी सख्या 1 व 3 को 1.353 है भूमि का ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 नाम कलमजन किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

नोटः– बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निज....X....नल.......X.....मुब्लिक....X....निल.........X.........बाबत.....X..निल.......X... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक .....X...अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक..17...../...06..../2023. जारी किया गया।

17/6/23

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रशासन ... 2023
शिविर स्थल...